

गेहूँ और दालों के भंडारण पर सीमा

प्रलिस के लिये:

[खाद्य सुरक्षा, आवश्यक वस्तु अधिनियम \(ECA\), 1955](#), [IMD](#), [मुद्रासफीति](#), [PDS](#), [OMSS](#)

मेन्स के लिये:

गेहूँ और दालों के भंडारण पर सीमा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने समग्र खाद्य सुरक्षा का प्रबंधन करने तथा जमाखोरी एवं बेबुनियाद अनुमान लगाने की प्रथा को रोकने के लिये व्यापारियों, थोक विक्रेताओं, खुदरा विक्रेताओं, वृहत शृंखला वाले खुदरा विक्रेताओं तथा प्रसंस्करणकर्त्ताओं द्वारा रखने योग्य गेहूँ के स्टॉक/भंडारण पर सीमाएँ निर्धारित की हैं।

- मंत्रालय ने इन्ही कारणों से आवश्यक वस्तु अधिनियम (ECA), 1955 को लागू करके तुर और उड़द दाल पर भी भंडारण सीमा लगा दी है।

सीमा निर्धारण का कारण:

- गेहूँ उत्पादन से संबंधित चिंताएँ:
 - फरवरी 2023 में बेमौसम बारिश, ओलावृष्टि और उच्च तापमान के कारण कुल गेहूँ उत्पादन को लेकर स्वाभाविक चिंता जताई गई।
 - कम उत्पादन से कीमतें बढ़ती हैं, जो सरकार की खरीद कीमतों से अधिक हो सकती हैं तथा आपूर्ति स्थिरता को प्रभावित कर सकती हैं।
 - शुरुआती अनुमान की तुलना में गेहूँ खरीद में संभावित 20% की कमी के संकेत हैं।
 - ओलावृष्टि के कारण मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में लगभग 5.23 लाख हेक्टेयर गेहूँ की फसल को नुकसान होने का अनुमान है।
 - भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने प्रजनन वृद्धि अवधि के दौरान उच्च तापमान के कारण गेहूँ की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव की चेतावनी दी थी।
- तुर एवं उड़द के लिये ECA 1955 लागू करना:
 - कर्नाटक, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के प्रमुख तुर उत्पादक राज्यों के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा और जल जमाव की स्थिति के कारण वर्ष 2021 की तुलना में खरीफ बुवाई में धीमी प्रगतिके बीच जुलाई 2022 के मध्य से तुर की कीमतों में वृद्धि हुई है।
 - किसी भी अवांछित मूल्य वृद्धिको नियंत्रित करने के लिये सरकार घरेलू एवं विदेशी बाजारों में दालों की समग्र उपलब्धता और नियंत्रित कीमतों को सुनिश्चित करने हेतु पूर्व-निर्धारित कदम उठा रही है।

गेहूँ की स्टॉक सीमा के संबंध में शासनादेश:

- कीमतों को स्थिर करने के लिये स्टॉक सीमा का अधिरोपण:
 - व्यापारियों/थोक विक्रेताओं के लिये अनुमत स्टॉक सीमा 3,000 मीटरिक टन निर्धारित है, इसके साथ ही खुदरा विक्रेताओं के लिये प्रत्येक बिक्री केंद्र पर 10 मीटरिक टन होने के साथ बड़ी शृंखला के खुदरा विक्रेताओं के लिये सभी डिपों (संयुक्त) पर 3,000 मीटरिक टन तक निर्धारित की गई है।
 - प्रसंस्करण इकाइयों को उनकी वार्षिक स्थापित क्षमता का 75% तक स्टॉक करने की अनुमति है।
 - खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के पोर्टल पर संस्थाओं को नियमित रूप से अपने स्टॉक की स्थिति घोषित करने की आवश्यकता होती है।
 - सीमा से अधिक स्टॉक होने की स्थिति में निर्धारित सीमा के अंतर्गत लाने के लिये अधिसूचना जारी करने की समय-सीमा 30 दिन है।
- OMSS के माध्यम से गेहूँ की बिक्री:

- सरकार ने **ओपन मार्केट सेल सकीम (OMSS)** के माध्यम से 15 लाख टन गेहूँ बेचने का नरिणय लया है ।
- गेहूँ मल्लों, नजल वुयापारयों, थोक खरीदारों और गेहूँ उत्पादकों द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से बेचा जाएगा ।
- **नीलामी 10 से 100 मीटरक टन के थोक मूल्य के लयल** आयोजलतल की जाएगी, जसलमें कीमतों और मांग के आधर पर अधकल-से अधकल नीलामी की संभरवना होगी ।
- कीमतों को कम करने के लयल **चावल की बकलरी हेतु** भी इसी तरह की योजना पर वचलर कयल जा रहा है ।

शासनादेश का उददेश्य:

- **कीमतों के स्थरलरकरण हेतु:**
 - प्ररथमकल उददेश्य बाज़र में गेहूँ की कीमतों को स्थरलर करना है । गेहूँ आपूरतल शृंखला में शामिल वभलनलन संसुथरओं पर सुटॉक सीमा लागू कर **सरकर का उददेश्य जमाखोरी और सडुटेबाज़ी को रोकना** तथा गेहूँ की स्थरलर आपूरतल सुनशलचतल करना और **कीमतों को स्थरलर** करना है ।
- **वहनीयता:**
 - सरकर का इररदा कीमतों को स्थरलर करके **उपभोक्तरओं हेतु गेहूँ को और अधकल कफलयती बनरना है** ।
 - OMSS द्वारा केंद्र के माध्यम से गेहूँ के वतलरण से **खुदरा मूल्यों पर नयलतुरण बनाए रखने से गेहूँ आम लोगों हेतु ससुतरा होगा** ।
- **आपूरतलकी कमी को रोकना तथा खादुय सुरकषा को सुनशलचतल करना:**
 - सुटॉक सीमा की नगररानी और प्रबंधन के साथ ही सरकर का उददेश्य मांग को पूरा करने के लयल गेहूँ की परुयाप्त आपूरतल सुनशलचतल कर बकलरी से संबंधतल कमयों को दूर करना और **सारवजनकल वतलरण परणाली** के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों को गेहूँ उपलब्ध कररना है ।

आवश्यक वसुतु अधनलयम, 1955:

- **पृष्ठभूमल:**
 - ECA अधनलयम, 1955 ऐसे समय में बनरया गया थर जब देश खादुयानुन उत्पादन के लगातर नमलन सुतर के कारण खादुय पदरर्थों की कमी का सामना कर रहा थर ।
 - ततकालीन भररत अपनी खादुय जरूरतों की पूरतलके लयल आयात और सहायता (जैसे PL-480 के तहत अमेरकल से गेहूँ का आयात) पर नरलभर थर ।
 - भररत ने वर्ष 1954 में अमेरकल के साथ सरकरारी कृषल वुयापार वकलस सहायता के तहत खादुय सहायता प्ररप्त करने के लयल एक **दीर्घकालकल सारवजनकल कानून (PL) 480 समझौते** पर हसुतरकषर कयल ।
 - **खादुय पदरर्थों की जमाखोरी** और कालरबाज़रारी को रोकने के लयल वर्ष 1955 में आवश्यक वसुतु अधनलयम लाया गया थर ।
- **उददेश्य:**
 - इसका उददेश्य ECA 1955 का उपयोग कर केंद्र द्वारा वभलनलन प्रकरर की वसुतुओं में वुयापार हेतु राजुय सरकरारों को नयलतुरण प्रदान करना है तरकल **मुदररसफुती** पर अंकुश लगाया जा सके ।
- **आवश्यक वसुतु:**
 - आवश्यक वसुतु अधनलयम, 1955 में आवश्यक वसुतुओं की कोई वशलषलत परभरषर नहीं है । धररर 2 (A) में कहर गया है कल "आवश्यक वसुतु" का अरुथ अधनलयम की अनुसूची में नरलदषलत वसुतु है ।
- **केंद्र की भूमकल:**
 - अधनलयम केंद्र सरकर को **अनुसूची में कसलसी वसुतु को जोडने या हटरने का अधकलर देतरा है** ।
 - केंद्र यदर संतुषुट है कलजनहतल में ऐसा कररना आवश्यक है, तो राजुय सरकरारों के पररमररुश से कसलसी वसुतु को आवश्यक रूप में अधसुलचतल कर सकतरा है ।
- **प्रभरव:**
 - कसलसी वसुतु को आवश्यक घोषतल करके सरकर उस वसुतु के उत्पादन, आपूरतल और वतलरण को नयलतुरतल कर सकती है तथा सुटॉक सीमा लगा सकती है ।

UPSC सवलल सेवा परीकषा, वगतल वर्ष के प्ररुशन

[?/?/?/?/?/?/?/?/?/?]:

प्ररुशन. नमलनलखलतल फसलों पर वचलर कीजयल: (2013)

1. कपास
2. मूंगफली
3. चावल
4. गेहूँ

इनमें से कौन-सी खरीफ फसलें हैं?

- (a) केवल 1 और 4
- (b) केवल 2 और 3
- (c) केवल 1, 2 और 3
- (d) केवल 2, 3 और 4

उत्तर: (c)

??????:

प्रश्न. फसल प्रणाली में गेहूँ और चावल की उपज में गरिबट के प्रमुख कारण क्या हैं? इस प्रणाली में फसलों की उपज को स्थिर करने हेतु फसल विविधीकरण किस प्रकार सहायक है? (2017)

स्रोत: द द्रिष्टि

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/ceiling-on-stocks-of-wheat-and-pulses>

